

पत्रांक 26 (अ०आ०) / रॉची, दिनांक 28.02.2024  
02/उ०नि०/ब० /आवं/यो०/टूल रुम-15 /2023-24

प्रेषक,

सुशांत गौरव, भा०प्र०से०  
निदेशक उद्योग

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रॉची ।

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए STATE SCHEME Establishment of Tool Room (0893), माँग संख्या-23 के अधीन मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-80-सामान्य-102-औद्योगिक उत्पादकता-76-सेन्ट्रल टूल रुम फेसिलिटी को सहायता अनुदान-06- अनुदान-78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान एवं 2852- उद्योग-80-सामान्य-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-76-सेन्ट्रल टूल रुम फेसिलिटी को सहायता अनुदान - 06-अनुदान-78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान मद में क्रमशः रु० 1,10,00,000/- एवं रु० 2,00,00,000/- अर्थात् कुल 3,10,00,000/- रु० (तीन करोड़ दस लाख रुपये) मात्र का उप आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-61 दिनांक 01.02.2024 तथा विभागीय आवंटन संख्या-50 दिनांक 12.02.2024 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए योजना से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल 3,10,00,000/- रु० (तीन करोड़ दस लाख रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नवत आवंटित किया जाता है:-

क्र०	बजट शीर्ष/ विपत्र कोड	उप आवंटित राशि रुपये में	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	STATE SCHEME- Establishment of Tool Room (0893) 2852-उद्योग-80-सामान्य-102-औद्योगिक उत्पादकता-76-सेन्ट्रल टूल रुम फेसिलिटी को सहायता अनुदान-06- अनुदान -78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान विपत्र कोड- 23S28528010276000678 प्राचार्य, झारखण्ड गवर्नमेंट टूल रुम, गोला	1,00,00,000=00	अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय झारखण्ड, रॉची DRNIND008	सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची
2	STATE SCHEME- Establishment of Tool Room (0893) 2852-उद्योग-80-सामान्य-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-76-सेन्ट्रल टूल रुम फेसिलिटी को सहायता अनुदान-06- अनुदान -78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान विपत्र कोड- 23S28528079676000678 प्राचार्य, झारखण्ड गवर्नमेंट टूल रुम, रॉची गवर्नमेंट टूल रुम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, दुमका	1,10,00,000 1,00,00,000		
	<b>योग</b>	<b>3,10,00,000=00</b>		

(तीन करोड़ दस लाख रुपये) मात्र

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में STATE SCHEME- Establishment of Tool Room (0893) मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-80-सामान्य-102-औद्योगिक उत्पादकता-76-सेन्ट्रल टूल रुम फेसिलिटी को सहायता अनुदान-06-अनुदान-78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान विपत्र कोड- 23S28528010276000678 एवं 2852-उद्योग-80-सामान्य-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-76-सेन्ट्रल टूल रुम फेसिलिटी को सहायता अनुदान-06-अनुदान-78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान विपत्र कोड-23S28528079676000678 अंकित करना अनिवार्य होगा ।

3. यह राशि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट उपबन्ध के अन्तर्गत है ।

4. राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या 2561 वि0(2), पटना, दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त - 4 - 23/2003/1800 वि0 रॉची दिनांक 15.7.2003 के आलोक में ही की जाएगी एवं उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। आवंटित राशि का व्यय निम्नांकित शर्तों के अनुसार किया जाएगा:-  
 (क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।  
 (ख) एक इकाई की राशि का व्यय दूसरी इकाई में नहीं किया जाय।  
 (ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाये।  
 (घ) मासिक व्यय/प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 31.03.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।
5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रॉची होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से एकमुश्त निकासी कर स्वीकृत्यादेश सं0- 61 दिनांक 01.02.2024 की कंडिका-4 (क) एवं (ख) के आलोक में प्राचार्य, झारखण्ड गवर्नमेंट टूल रुम, रॉची को रु0 110.00 लाख, गवर्नमेंट टूल रुम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, दुमका को रु0 100.00 लाख एवं गवर्नमेंट टूल रुम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, गोला को रु0 100.00 लाख बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।
6. वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक 1201 दिनांक 20.03.2015 के आलोक में सभी विपत्रों का CMP के माध्यम से e-payment किया जाएगा।
7. इस राशि की निकासी एवं व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-61 दिनांक 01.02.2024 की कंडिका-6 (क) एवं (ख) में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. राशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अविलम्ब महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाएगा।
9. राशि की निकासी एवं व्यय में राज्यादेश संख्या-61 दिनांक 01.02.2024 तथा विभागीय आवंटन संख्या-50 दिनांक 12.02.2024 में निहित शर्तों/दिशा-निर्देशों एवं मापदण्डों के अनुसार की जायेगी।
10. ऑनलाईन निर्गत आवंटन की विवरणी संलग्न है, जिसे <https://172.16.20.15/ifmsjhar> पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

28.02.24  
 (सुशान्त गौरव)  
 निदेशक उद्योग

ज्ञापांक 26 (अ०आ०) / रॉची, दिनांक 28.02.2024

02/उनि०/ब०/आ०/यो०/दूल रुम-15 /2023-24

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, पो0-हिन्, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.24  
 निदेशक उद्योग

ज्ञापांक 26 (अ०आ०) / रॉची, दिनांक 28.02.2024

02/उनि०/ब०/आ०/यो०/दूल रुम-15 /2023-24

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.24  
 निदेशक उद्योग

ज्ञापांक 26 (अ०आ०) / रॉची, दिनांक 28.02.2024

02/उनि०/ब०/आ०/यो०/दूल रुम-15 /2023-24

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री (उद्योग) के आप्त सचिव/सचिव उद्योग के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/प्रभारी पदाधिकारी (बजट)/प्रभारी पदाधिकारी, योजना, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड रॉची/प्राचार्य, गवर्नमेंट टूल रुम, रॉची/दुमका एवं गोला/वेबसाइट ऑनलाइन कम्प्यूटर कोषांग, उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.24  
 निदेशक उद्योग



13

## आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

Industries Department

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 2/U.NI-15/23-24/26 (YO.AA)

दिनांक - 28-Feb-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 23 28528010276000678 2852 - उद्योग 80 - सामान्य 102 - औद्योगिक उत्पादकता 76 - सेन्ट्रल टूल रूम फेसिलिटी को सहायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान State Scheme	87064	DRNIND008 LALIT KUMAR UNDER SECRETARY-CUM-DE O 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	11,000,000.00 रुपये एक करोड दस लाख
	State Scheme : ESTABLISHMENT OF TOOL ROOM(0893) Central Scheme : NA			
2	S 23 28528079676000678 2852 - उद्योग 80 - सामान्य 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 76 - सेन्ट्रल टूल रूम फेसिलिटी को सहायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान State Scheme	87067	DRNIND008 LALIT KUMAR UNDER SECRETARY-CUM-DE O 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	20,000,000.00 रुपये दो करोड
	State Scheme : ESTABLISHMENT OF TOOL ROOM(0893) Central Scheme : NA			

योग: रुपये तीन करोड दस लाख

क्रमिक योग:

*Sushant Gaurav*  
(SUSHANT GAURAV) 28.02.24  
DIRECTOR OF INDUSTRIES

31,000,000.00



DRAFT COPY

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Industries Department

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

संचिका संख्या - 2/U.NI-15/23-24

दिनांक -

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 23 28528010276000678 2852 - उद्योग 80 - सामान्य 102 - औद्योगिक उत्पादकता 76 - सेन्ट्रल टूल रूम फेमिलिटी को महायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान State Scheme	87064	DRNIND008 LALIT KUMAR UNDER SECRETARY-CUM-DD O 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	11,000,000.00 रुपये एक करोड़ दस लाख
	State Scheme : ESTABLISHMENT OF TOOL ROOM(0893) Central Scheme : NA			
2	S 23 28528079676000678 2852 - उद्योग 80 - सामान्य 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 76 - सेन्ट्रल टूल रूम फेमिलिटी को महायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान State Scheme	87067	DRNIND008 LALIT KUMAR UNDER SECRETARY-CUM-DD O 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	20,000,000.00 रुपये दो करोड़
	State Scheme : ESTABLISHMENT OF TOOL ROOM(0893) Central Scheme : NA			

योग: रुपये तीन करोड़ दस लाख  
क्रमिक योग:

31,000,000.00

*Sushant Gaurav*  
(SUSHANT GAURAV) 22.02.24

DIRECTOR OF INDUSTRIES